**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**28.12.2018 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1899 का उत्तर**

**रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद**

**1899. श्रीमती झरना दास बैद्यः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) आज की स्थिति के अनुसार रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य

पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित कितने-कितने पद रिक्त हैं;

(ख) इन पदों के न भरने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्तियों को भरने के लिए रेलवे द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*\*

रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद के संबंध में 28.12.2018 को राज्‍य सभा में श्रीमती झरना दास बैद्य के अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1899 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण।**

(क): 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार, रेलवे में सभी समूहों की भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बैकलॉग रिक्तियों की संख्‍या निम्‍नानुसार है :

अनुसूचित जाति : 4,166 अनुसूचित जनजाति : 3,829 अन्य पिछड़ा वर्ग : 6,377

(ख) और (ग): रेलवे में भर्ती प्रक्रिया प्राधिकृत भर्ती एजेंसियों यथा रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) और रेलवे भर्ती सेलों (आरआरसी) के माध्‍यम से नियमित रूप से की जा रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की भर्ती में शार्टफाल अथवा बैकलॉग रिक्तियों, जिन्हें भरा नहीं गया है, को चल रहे भर्ती कार्यक्रम और आगामी भर्ती चक्रों में ध्यान में रखा जाता है।

\*\*\*\*\*